अति–आवश्यक
अवमानना प्रकरण

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0 जयपुर।

क्रमांकः प.7(विविध)चिस्वा/अव./विधि/2014/ दिनांकः

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
मुख्यालय।

संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें
जोन–जयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर।

विषयः–दिनांक 17.09.2014 तक उच्च न्यायालय जयपुर में विभाग के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण जिनमें जवाब दावें प्रस्तुत नहीं किये गये है में संबंधित समन्वयकों से जवाब दावें तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करवाते हुये पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विभाग के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों में आपके अधिनस्थ पदस्थापित अधिकारी जिन्हें अवमानना प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत करवाने हेतु समन्वयक नियुक्त किया गया था के द्वारा बार–बार निर्देश जारी करने के पश्चात् भी माननीय न्यायालय में जवाब दावें प्रस्तुत नहीं करवायें गये है और न ही नियमानुसार पालना की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अवमानना प्रकरणों में नियमानुसार पालना/स्टै/जवाब दावें की कार्यवाही नहीं करवाने को प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा गम्भीरता से लेते हुये उक्त कार्यवाही अविलम्ब करवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः निदेशालय के विधि अनुभाग में प्राप्त अवमानना प्रकरण जिसमें अभी तक समन्वयकों द्वारा नियमानुसार पालना/स्टै/जवाब दावें की कार्यवाही नहीं की गई है कि सूची संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में वर्णित प्रकरणों में नियमानुसार पालना/स्टै/जवाब दावें की कार्यवाही सात दिवस में करवाते हुये पालना भिजवावें, साथ ही जिन अवमानना प्रकरणों में पालना पूर्ण कर जवाब दावा प्रस्तुत किये जा चुके है, उन्हें अविलम्ब माननीय न्यायालयों सुनवाई हेतु लगवाकर खारिज करवाने की कार्यवाही करावें।

पत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान करें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.7(विविध)चिस्वा/अव./विधि/2014/205 दिनांकः 17-9-14

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–2 व 3)।
3. उप शासन सचिव, एनआरएचएम, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित) मुख्यालय।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सभी संबंधित को मय संलग्न ई–मेल करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में प्राप्त अवमानना प्रकरण जिसमें जवाब दावें प्रस्तुत नहीं किये गये है कि सूची दिनांक 17.09.2014 उच्च न्यायालय जयपुर

क. सं.	फाईल नं.	प्राप्ति दिनांक	अव0 सं0	याचिका संख्या	उनवान	पदनाम	निर्णय दिनांक	केस प्रभारी अधिकारी	अधिवक्ता का नाम	निर्णय सारांश	पालना	जवाब
1	प.7(296)	22.5.11	457/11	3616/04	डॉ0 गुलाब सिंह राठौड बनाम श्री बी0एन0 शर्मा, प्रमुख शासन सचिव	सेवा.नि. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	18.11.11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चॉक्सू (जयपुर)	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि याचि के पेंशन केस का निस्तारण मय ग्रेच्युटी, प्रोविडेन्ड फण्ड का भुगतान पूर्व में स्वीकृत प्रोविजनल पेंशन का भुगतान काट कर शेष भुगतान करें । पेंशन स्वीकृत अधिकारी पेंशन की गणना उनसे वसूल की जाने वाली राशि 86,201/– को कम करते हुये शेष राशि का भुगतान करें । याचि उसके पश्चात् नियमित पेंशन प्रति माह प्राप्त करने का अधिकारी है। निर्णय की पालना 3 माह में किये जाने के निर्देश है।	पालना पूर्ण	
2	प.7(340)	01.12.11	1127/11	4347/11	डॉ0 बृज लाल बैरवा बनाम श्री बी.एन. शर्मा	चि0अ0	20.04.11	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि आदेश दिनांक 14.03.11 द्वारा याची को रेस्पो. संख्या 2 द्वारा दी गई नियुक्ति के क्रम में उसे पोस्ट ग्रेजूयेशन करने हेतु यदि नियमों की शर्त संख्या आर.121–ए के तहत इस आशय का बंधक पत्र प्रस्तुत करें कि वह पी.जी. उत्तीर्ण करने के बाद 5 वर्ष तक राजकीय सेवा करेगा।	दिनांक 21.12.12 को हुई स्थाई समिति की बैठक की अनुशंषा अनुसार प्रकरण कार्मिक विभाग की राय हेतु भिजवाना है।	
3	प.7(358)	12.01.11	1291/11	7501/08	श्री ओमवीर सिंह बनाम श्री बी.एन. शर्मा	नर्स–2	11.07.11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	विभूति भूषण शर्मा	याची द्वारा प्रस्तुत अवमानना याचिका निरस्त करते हुये प्रार्थी को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि यदि वह प्रतिपक्षीगण द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होता है एवं आवश्यक संदेह तो पुनः इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत कर सकेंगा। रिट याचिका संख्या 7501/08 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.08 के अनुसार प्रार्थी को अपनी समस्त पेरशानियों का उल्लेख करते हुये माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति सहित एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं संबंधित अधिकारी द्वारा उस अभ्यावेदन पर तीन माह में विस्तृत आदेश पारित कर प्रार्थी को सूचित करने के निर्देश दिये है ।	पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट जीए को उपलब्ध करा दी गई है।	

4	प.7(447)	14.8.12	458 / 12	1889 / 94	डॉ0 शेख मोहम्मद ईनाम बनाम श्री बी.एन.शर्मा	चि0अ0	30.6.09	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका स्वीकार करते हुये विवादग्रस्त चार्जशीट दिनांक 21.06.1974 को खारिज एवं अपास्त किया है एवं यह आदेश दिये है कि अथ्यार्थी समस्त पारिणामिक लाभ पाने का अधिकारी होगा । प्रकरण की लम्बी अवधि को देखते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वे याची को नियमानुसार समस्त सेवानिवृति परिलाभ 3 माह में प्रदान करें ।	पूर्ण
5	प.7(466)	24.09.12	641 / 12	13906 / 09	कोमल भाटी बनाम श्री बी एन शर्मा	म0स्वा0कार्य0(जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
6	प.7(467)	24.09.12	642 / 12	9232 / 09	लक्ष्मी मीणा बनाम श्री बी एन शर्मा	म0स्वा0कार्य0(जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
7	प.7(444)	08.08.12	649 / 12	5914 / 10	श्री गौरव धाबाई बनाम श्री बी.एन.शर्मा	क0लि0–बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्	02.09.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर

8	प.7(451)	14.8.12	651/12	9730/09	सुनीता कुमारी बनाम श्री बी.एन.शर्मा	एनएनएम	26.9.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
9	प.7(452)	14.8.12	652/12	9224/09	श्री राजपाल सिंह बनाम श्री बी.एन.शर्मा	लैब टैक्नी, (जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्	27.9.11	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
10	प.7(453)	14.8.12	653/12	10197/11	अनीता शर्मा बनाम श्री बी.एन.शर्मा	म0स्वा0कार्य0 जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत	30.8.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर

11	प.7(454)	14.8.12	654 / 12	5917 / 10	तृपा झा बनाम श्री बी.एन.शर्मा	म0स्वा0कार्य0 जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत	27.9.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
12	प.7(455)	14.8.12	655 / 12	5915 / 10	वन्दना बपटिस्ट बनाम श्री बी.एन.शर्मा	म0स्वा0कार्य0 जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत	27.9.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
13	प.7(456)	14.8.12	661 / 12	10724 / 09	मोहम्मद इशहाक बनाम श्री बी.एन.शर्मा	जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत	26.9.11	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर

14	प.7(458)	14.8.12	662/12	7732/10	रामसिंह शेखावत बनाम श्री बी.एन.शर्मा	जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्	26.9.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
15	प.7(457)	14.8.12	702/12	4422/10	जोगिन्दर कौर बनाम श्री बी.एन.शर्मा	म0स्वा0कार्य0 जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्	30.8.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा।	डीबी खारिज रिव्यू पी0 दायर
16	प.7(441)		714/12	7504/10	उमा गुरू बनाम श्री बी.के. दोसी	म0स्वा0कार्य0 बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति पर मानने बाबत	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर

17	प.7(442)	03.08.12	715/12	7731/10	सुशीला नूनिया बनाम श्री बी.के. दोसी	म0स्वा0कार्य0 बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति पर मानने बाबत	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
18	प.7(465)	05.09.12	716/12	7503/10	अनीता देवी लखेरा बनाम श्री बी के दोसी	म0स्वा0कार्य0(जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
19	प.7(470)	26.09.12	721/12	694/11	डॉ0 अनिल जैमन बनाम श्री बी एन शर्मा	चि0अ0	25.07.12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	विभूति भूषण शर्मा	अवमानना याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया है कि यदि प्रार्थी प्रतिपक्षीगण के समक्ष इस याचिका में अन्तर्ग्रस्त विषयवस्तु के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है अथवा नोटिस देता है तो न्यायालय की सहपीठ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.04.11 के प्रकाश में अभ्यावेदन अथवा नोटिस प्रस्तुत करने की तिथी से एकमाह की अवधि में उसका विधि अनुसार निस्तारण कर देगें।	पालना अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित के स्तर पर अपेक्षित है।

20	प.7(567)	15.03.13	746/12	8347/04	मांगी लाल बनाम श्री बी0एन0शर्मा	से0नि0 सेक्टर सुपरवाईजर	14.12.11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8235/04 रमेश सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्या याचिकाओं के साथ राज0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में करते हुये याचिगणों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतिय चयनित वेतनमान वेतनश्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 कमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर दिये जाने के निर्देश दिये है।	निर्णय विरूद्व डी0बी0स्पे अपील दायर
21	प.7(563)	13.03.13	747/12	8237/04	गोवर्धन लाल बनाम श्री बी0एन0शमा	से0नि0 सेक्टर सुपरवाईजर	14.12.11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8235/04 रमेश सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्या याचिकाओं के साथ राज0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में करते हुये याचिगणों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतिय चयनित वेतनमान वेतनश्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 कमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर दिये जाने के निर्देश दिये है।	निर्णय विरूद्व डी0बी0 दायर
22	प.7(564)	13.03.13	748/12	8235/04	उम्मेद सिंह बनाम श्री बी0एन0शर्मा		14.12.11		विभूति भूषण शर्मा		उप रजिस्ट्रार (न्यायिक), राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को लौटाई हुई है।
23	प.7(566)	15.03.13	749/12	8236/04	बोदू लाल बनाम श्री बी0एन0शर्मा	से0नि0 सेक्टर सुपरवाईज़र	14.12.11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8235/04 रमेश सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्या याचिकाओं के साथ राज0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में करते हुये याचिगणों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतिय चयनित वेतनमान वेतनश्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 कमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर दिये जाने के निर्देश दिये है।	निर्णय विरूद्व डी0बी0 दायर

24	प.7(580)	02.04.13	990/12	9504/10	यशपाल पटवा व अन्य 11 बनाम श्री बी0एन0शर्मा	नर्स–2	25.08.11	सहायक लेखाधिकारी, कार्या0 मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, भीलवाडा	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण अन्य याचिकाओं के साथ श्री दुर्गा सिंह चौहान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के अनुसार करते हुये उन याचिगणों को जिन्हें चयनित वेतनमान 7500–12000 मय सभी परिलाभों एवं एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये है । ऐसे याचिगण जिन्हें पूर्व में उक्त परिलाभ दिया जा चुका है वह उसे प्राप्त करते रहेगें । इस संबंध में जारी विपरीत आदेशों को अपास्त किया जाता है।	पूर्ण
25	प.7(468)	24.09.12	1000/12	7730/10	गीता रावत बनाम श्री बी एन शर्मा	म0स्वा0कार्य0 (जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत)	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0दायर
26	प.7(469)	24.09.12	1002/12	7734/10	रूकसाना अन्सारी बनाम श्री बी एन शर्मा	म0स्वा0कार्य0(जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत)	27.09.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0दायर
27	प.7(482)		1126/12	1345/12	श्रीमती मनेश बनाम श्री बी एन शर्मा	म0स्वा0कार्य0	19.03.12	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण पूर्व में श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राज0 राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 4415/10 एवं अन्य समान प्रकृति की 14 रिट याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 30.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये इस याचिका में भी वही आदेश प्रभावी होगें, यदि याचीगणों ने जीएनएम प्रशिक्षण राजकीय कॉलेज से प्राप्त किया हो।	डीबी खारिज रिव्यू दायर

28	प.7(476)		1142/12	7123/10	श्री केदार सिंह बनाम श्री बी एन शर्मा	कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा	10.04.12	उप निदेशक (पी0एफ0ए0), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि यदि प्रत्यर्थीगणों को कम्प्यूटर ऑपरेटर मय कम्प्यूटर की आवश्यकता हो तो वह याचि को पुनः कार्य पर लेवें । अन्य किसी कारणवश प्रत्यर्थीगण औपचारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा पर कार्य पर लेते है तो याची को प्राथमिकता प्रदान करें । साथ ही प्रत्यर्थीगणों को यह भी निर्देश है कि यदि वे नियमित नियुक्ति करते है एवं याची यदि अन्य अभ्यार्थीयों के साथ उसमें भाग लेता है एवं योग्य पाया जाता है तो उसे नियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिये स्वतंत्र होगें।	तथ्यात्मक रिपोर्ट जी0ए0 को उपलब्ध
29	प.7(487)		1243/12	10625/11	डॉ0 चन्द्रप्रकाश वधवास बनाम श्री दीपक उप्रेति	(से0नि0 उप नियत्रक)	25.7.12	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर		रिट याचिका स्वीकार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उसकी पदस्थापन प्रतिक्षा अवधि का निस्तारण करते हुये उसके अनुसार पेंशन परिलाभ एक माह की अवधि में मय 9 प्रतिशत ब्याज के भुगतान करें । साथ ही याची को 2000/- रू. कॉस्ट राशि का भी भुगतान करें ।	रिव्यू दायर
30	प.7(569)	15.03.13	1347/12	533/12	कौशल्या कुमारी बनाम श्री दीपक उप्रेती	(म0स्वा0कार्य बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	10.01.12	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि यदि याचिकार्थीया का प्रकरण सुमन कुमारी के प्रकरण में पारित निर्णय के समान पाया जाता है तो उसे भी अध्ययन अवकाश हेतु सभी परिलाभ दिये जाने पर विचार करें।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पि0 दायर
31	प.7(559)	07.03.13	1349/12	417/12	सुलोचना मीणा बनाम श्री दीपक उप्रेती	म0स्वा0कार्य बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्	10.01.12	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि यदि याचिकार्थीया का प्रकरण सुमन कुमारी के प्रकरण में पारित निर्णय के समान पाया जाता है तो उसे भी अध्ययन अवकाश हेतु सभी परिलाभ दिये जाने पर विचार करें।	डी0बी0 खारिज रिव्यू दायर

32	प.7(540)	18.02.13	1443/12	6960/11	श्रीमती आभा जैन बनाम श्री दीपक उप्रेती	जीएनएम नियुक्ति अभ्यार्थी	25.05.11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली	विभूति भूषण शर्मा	आदेशानुसार याचिकार्थीया के अधिवक्ता के अवगत कराये अनुसार याचिकार्थीया से कम वरीयता के व्यक्तियों– राजजी गोयल, मंजू जोशी, अमिषा सरूजा एवं अनामिका शर्मा अब तक निरन्तर कार्यरत है जबकि याचिकार्थीया को निरन्तर कार्य पर नहीं रखा गया है। अतः प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि याचिकार्थीया को भी कार्य से नहीं हटाया जावें ।	समान प्रकृति के निर्णीत प्रकरण के साथ उच्च न्यायालय ब्रहद पीठ जोधपुर में विचाराधीन है। तथ्यात्मक रिपोर्ट जीए को उपलब्ध (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)
33	प.7(575)	20.03.13	1458/12	3619/12	मोहन लाल वर्मा व अन्य 5 बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	08.08.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्या0 मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका संख्या 8414/12 का निस्तारण रतन लाल शर्मा व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्य याचिकाओं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 6909/06 चन्द्रशेखर कुमावत व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 20.08.08 के परिपेक्ष्य में याचिगणों के प्रकरण पर विचार करें एवं यदि इनका प्रकरण उसके समान पाया जाता हो तो तद्नुसार लाभ याचिगणों को प्रदान किये जावें।	डी0बी0 दायर निर्णयाधीन पालना पूर्ण
34	प.7(533)		1500/12	14302/8	डॉ0 कन्हैया लाल बनाम श्री दीपक उप्रेती	एडहॉक चि0अ0					रजिस्ट्रार न्यायिक को सही नाम से नोटिस व याचिका भिजवाने बाबत् लिखा है।
35	प.7(542)	18.02.13	1537/12	8343/04	परसराम बनाम श्री दीपक उप्रेती	सेक्टर सुपरवाईजर	14.12.11	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नीम का थाना (सीकर)	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8235/04 रमेश सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्या याचिकाओं के साथ राज0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में करते हुये याचिगणों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतिय चयनित वेतनमान वेतनश्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 क्रमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर दिये जाने के निर्देश दिये है।	डी0बी0 दायर

36	प.7(573)	20.03.13	17 / 13	4415 / 10	सुमन कुमारी बनाम श्री दीपक उप्रेती	(म0स्वा0कार्य बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	30.08.11	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लघन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर
37	प.7(574)	20.03.13	32 / 13	7896 / 12	निहाल अहमद व अन्य 2 बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	08.08.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्या0 मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, झालावाड	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका संख्या 8414 / 12 का निस्तारण रतन लाल शर्मा व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्य याचिकाओं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 6909 / 06 चन्द्रशेखर कुमावत व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 20.08.08 के परिपेक्ष्य में याचिगणों के प्रकरण पर विचार करें एवं यदि इनका प्रकरण उसके समान पाया जाता हो तो तद्नुसार लाभ याचिगणों को प्रदान किये जावें।	डी0बी0 दायर निर्णयाधीन पालना पूर्ण
38	प.7(534)	13.02.13	37 / 13	1689 / 12	श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य 5 बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	08.08.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका संख्या 8414 / 12 का निस्तारण रतन लाल शर्मा व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्य याचिकाओं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 6909 / 06 चन्द्रशेखर कुमावत व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 20.08.08 के परिपेक्ष्य में याचिगणों के प्रकरण पर विचार करें एवं यदि इनका प्रकरण उसके समान पाया जाता हो तो तद्नुसार लाभ याचिगणों को प्रदान किये जावें।	डी0बी0 दायर निर्णयाधीन पालना पूर्ण

39	प.7(579)	21.03.13	38/13	11671/12	कप्तान सिंह बनाम डॉ0 बी0एम0 बैरवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर व अन्य	जेएसवाय सहायक	06.10.12	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, भरतपुर	विभूति भूषण शर्मा	अंतरिम आदेशानुसार यदि कोई भुगतान बकाया हो तो प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किये जाते है कि वह उसका भुगतान याची को करें।	पूर्ण एन.आर.एच.एम. प्रकरण
40	प.7(598)	22.05.13	325/13	7893/12	मीनू शर्मा बनाम बनाम श्री दीपक उप्रेती, प्रमुख शासन सचिव	(रोगी सलाहकार)	17.05.12	नोडल ऑफिसर, आरएचएसडीपी मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण याचिका संख्या 13811/11 मस्सरत मिया व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.04.12 के प्रकाश में करते हुये याची को अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थीगणों को प्रस्तुत करने एवं यदि प्रकरण मस्सरत मिया में दिये गये निर्णय के समान पाया जाता है तो प्रत्यर्थीणों द्वारा उसका निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये है।	निर्णय विरूद्व आगे अपील नहीं करने के विनिश्चय से नोडल ऑफिसर आर.एच.एस.डी.पी. को अवगत कराते हुये पालना बाबत् लिखा जा चुका है।
41	प.7(450)	14.8.12	611/12	10591/11	उषा के.वी. बनाम श्री बी.एन.शर्मा	म0स्वा0कार्य0 जीएनएम प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत	30.8.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा ।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पि0 दायर

42	प.7(539)	18.02.13	1450/12	3613/12	जगदीश बैरवा व अन्य 4 बनाम श्री दीपक उप्रेती	एम पी एच डब्ल्यू	08.08.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8414/12 रतन लाल शर्मा व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य के साथ अन्य रिटा याचिकाओं के साथ करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि यदि याचिगणों का प्रकरण रिट याचिका संख्या 6909/06 चन्द्रशेखर कुमावत व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य में उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.08 के अनुसार कवर करता हो तो इन्हें भी समान परिलाभ प्रदान किये जावें ।	डी0बी0 निर्णयाधीन पालना पूर्ण
43	प.7(553)	01.03.13	77/13	6424/11	मनोज कुमार खावास बनाम श्री दीपक उप्रेती	फार्मा0	17.05.11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	श्रीमती मंजू जैन	विवादित आदेश/पत्र दिनांक 04.02.11, 10.02.11, 14.02.11 एवं 28.03.11 की कियान्विति पर स्थगन आदेश जारी करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वे याचिगणों को उसी पद पर निरन्तर कार्य पर रखें, जिस पद हेतु शर्तो के अनुरूप उनसे अनुबध किया गया है।	एमएमजेआरके प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई है।
44	प.7(573)	20.03.13	17/12	4415/10	सुमन कुमारी बनाम श्री दीपक उप्रेती	(म0स्वा0कार्य बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति मानने बाबत्)	30.08.11	उप निदेशक (नर्सिग–तृतिय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	चूंकि पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ कई पदों को दिया गया है इसलिये भेदभाव से बचने के लिये अनुमति दी गई है। प्रत्यर्थीगण भी याचिकाकर्ताओं के लिये इसी तरह के लाभ का विस्तार करने के लिये सहमत है परन्तु व्यवस्थापूर्वाक जो पहले से ही जएनएम प्रशिक्षण कोर्स करने में शामिल हो गये, करने के लिये सिमित किया जावेगा और अब के बाद कोई भी अध्ययन अवकाश की अनुमति आरएसआर प्रावधानों का उल्लधन होगा।	डी0बी0 खारिज रिव्यू पी0 दायर

45	प.7(576)	20.03.13	89 / 13 (अन्तर्गत एस0बी0 रिव्यू पि0 संख्या 182 / 11	11034 / 11	डॉ0 महेन्द्र सिंह बुन्देल बनाम श्री दीपक उप्रेती	एसएमओ	03.09.12	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, धौलपुर	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण करते हुये निर्णय दिनांक 24.08.11 को रिव्यू करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि याची को पदोन्नती आदेश दिनांक 25.06.10 के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये सभी काल्पनिक पारिणामिक लाभ सेवानिवृति की दिनांक तक दिये जाने के निर्देश दिये है।	उप निदेशक के पद पर राज्यादेश दिनांक 03.01.13 से तदर्थ पदौन्नति दी जा चुकी है एवं शेष पालना संबंधी कार्यवाही हेतु प्रकरण स्थायी समिति की अभिशंषानुसार कार्मिक विभाग से राय प्राप्त करने बाबत् राज्य सरकार को भिजावाया गया है।
46	प.7(587)	10.04.13	267 / 13	10103 / 12	कृष्ण कुमार यादव बनाम श्री के0एल0स्वामी, अति0 निदेशक (प्रशासन)	नर्स–2	24.08.12	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी, सीकर	विभूति भूषण शर्मा	निर्णयानुसार याचिका के तथ्यों को देखते हुये याची के किये गये स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश इस शर्त के साथ जारी किया है कि यदि याची को उसके निलंबन काल के दौरान अब तक आरोप पत्र नहीं दिये गये हो।	पूर्ण
47	प.7(361)	13.01.12	457 / 09	1756 / 94	डॉ0 अजय सक्सैना बनाम श्री बी.एन. शर्मा	चि0अ0	31.08.06	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण समान प्रकृति की डी0बी0सि0रिट याचिका संख्या 2230 / 86 डॉ0 सी.आर.अग्रवाल व अन्य बनाम राज0 राज्य में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.90 के अनुसार याची को उसकी पी.जी. प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति पर मानने के निर्देश दिये है।	निर्णय दिनांक 21.08.06 में उल्लेखित याचिका संख्या 2230 / 86 डॉ0 सी.आर.अग्रवाल व अन्य बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 31.01.90 की प्रति न्यायालय से प्राप्त करने हेतु समन्वयक को निर्देशित करने बाबत् अति0 निदेशक (राज0) को लिखा जा चुका है।
48	प.7(620)	25.07.13	500 / 13	14748 / 10	श्रीमती सत्या देवी, बनाम श्री दीपक उप्रेती	(म0स्वा0का0)	31.08.12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	विभूति भूषण शर्मा	"प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वह याचिकार्थीया को प्रसूति अवकाश के परिलाभ दो माह में प्रदान करें। साथ ही यह विभाजन कर ले कि याचिकार्थीया संविदाकर्मी है या अर्जेन्ट टेम्परी बेसिस पर नियुक्त है।"	पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट जी0सी0 को प्रस्तुत (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)

49	प.7(621)	08.08.13	1529/12	1332/04	श्री रामपाल नाटाणी, बनाम श्री बी.एन. शर्मा व अन्य	(से0सुपरवाईजर)	14.12.11	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–प्रथम	विभूति भूषण शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिका संख्या 8235/04 रमेश सिंह बनाम राज0 राज्य व अन्य तथा अन्या याचिकाओं के साथ राज0 राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में करते हुये याचिगणों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतिय चयनित वेतनमान वेतनश्रृंखला 975–1720, 1200–2050 एवं 1640–2900 कमशः 9, 18 एवं 27 वर्ष के सेवाकाल पर दिये जाने के निर्देश दिये है।"	डी.बी. दायर
50	प.7(641)	08.10.13	310/13	11573/12	राजेश सौनी बनाम श्री श्रीफूल मीणा	संविदा फार्मा0	24.09.12	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	"निर्णयानुसार यदि याचिगणों को हटाया गया है एवं नये व्यक्तियों को रखा गया है तो प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये गये है कि याचिगणों को प्राथमिकता देते हुये निरन्तर रखा जावें।"	राजकीय अधिवक्ता को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट दि0 26.03.2014 को प्रेषित है।
51	प.7(644)	14.10.13	748/13	3139/13	महावीर प्रसाद जोहरी बनाम श्री दीपक उप्रेती	एम.पी.एच.डब्ल्यू.	25.08.11	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण समान प्रकृति की रिट याचिका संख्या 6909/06 चन्द्रशेखर कुमार व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य एवं खण्डपीठ में दायर अपील (रिट) 994/11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये निर्णय की पालना करने के निर्देश दिये है।"	निर्णय विरूद्व डी0बी0 दायर
52	प.7(647)	14.10.13	226/13	17659/12	रामावतार शर्मा व अन्य 4 बनाम श्री दीपक उप्रेती	नर्स द्वितीय	05.11.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि याची प्रत्यर्थीगणों के समक्ष याचिका संख्या 11028/11 देवी सिंह स्वर्णकार व अन्य 27 याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 के परिपेक्ष्य में करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि यदि याचिगण द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो प्रत्यर्थीगण उस पर दुर्गा सिंह चौहान एवं देवी सिंह स्वर्णकार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में विचार करें।"	डी0बी0 निर्णयाधीन पालना पूर्ण

53	प.7(651)	06.11.13	1010/13	11626/12	मामू राजा गुप्ता बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	29.03.13	सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि याचिका संख्या 1633/12 विजयपाल डाबी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013, 1229/13 मोती लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 एवं याचिका संख्या 1166/12 रेवा शंकर व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2012 के अनुसार यदि इनका भी प्रकरण समान पाया जाता है एवं याचिगणों द्वारा निर्णय के परिपेक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्यर्थीगण उस पर विचार करते हुये स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुये याचिगणों को सूचित करें।	निर्णय विरूद्व डी0बी0 दायर
54	प.7(655)	06.11.13	1027/13	8470/13	आशीष कुमार त्रिवेदी बनाम श्री दीपक उप्रेती	एनजीओ प्लेसमेंट एजेन्सी के अधिन कार्यरत संविदा कार्मिकों के नर्स–2 के पद पर नियुक्ति हेतु बोनस मार्क्स दिये जाने बाबत्	27.05.13	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका स्वीकार करते हुये आदेश दिये है कि यदि प्रकरण मनोहर सिंह व अन्य के समान पाया जाता है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार द्वारा स्पेशल अपील दायर की जाती है तो उक्त निर्णय की स्पेशल अपील के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेंगी।	**पलाना शेष** समान प्रकृति के प्रकरणों में पारित निर्णय के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एसएलपी दायर की हुई है।
55	प.7(670)	27.11.13	1147/13	2912/13	सुमरन सिंह बनाम श्री दीपक उप्रेती	आयुर्वेद चिकि0	04.07.13	सहायक निदेशक (आयुष), एनआरएचएम मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	याची की सेवा बर्खास्तगी संबंधी विवादग्रस्त ओदश को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वे याची के बी.ए.एम.एस. में प्राप्त वास्तविक अंको के आधार पर वरियता सूचि का पुनः निर्धारण करें एवं यदि वे वरियता में योग्य पाये जाते है तो उन्हें सेवा में निरन्तर मानते हुये काल्पनिक परिलाभ दिये जावें।	एनएचएम प्रकरण

56	प.7(671)	04.12.13	579/13	17064/12	शंभू दयाल शर्मा व अन्य–2 बनाम श्री दीपक उप्रेती	नर्स–2 एएचडब्ल्यू	20.11.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028/11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें ।	पूर्ण
57	प.7(673)	04.12.13	1159/13	11665/13	प्रभाती लाल सैनी बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	29.03.13	सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि याचिका संख्या 1633/12 विजयपाल डाबी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013, 1229/13 मोती लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 एवं याचिका संख्या 1166/12 रेवा शंकर व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2012 के अनुसार यदि इनका भी प्रकरण समान पाया जाता है एवं याचिगणों द्वारा निर्णय के परिपेक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्यर्थीगण उस पर विचार करते हुये स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुये याचिगणों को सूचित करें।	पूर्ण (एम0पी0डब्ल्यू सीट से प्राप्त मौखिक सूचना अनुसार)
58	प.7(674)	04.12.13	1188/13	11662/12	राजाराम शर्मा बनाम श्री दीपक उप्रेती	एमपीएचडब्ल्यू	29.03.13	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि याचिका संख्या 1633/12 विजयपाल डाबी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2013, 1229/13 मोती लाल शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.03.2013 एवं याचिका संख्या 1166/12 रेवा शंकर व अन्य बनाम राज. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2012 के अनुसार यदि इनका भी प्रकरण समान पाया जाता है एवं याचिगणों द्वारा निर्णय के परिपेक्ष में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्यर्थीगण उस पर विचार करते हुये स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुये याचिगणों को सूचित करें।	पूर्ण (एम0पी0डब्ल्यू सीट से प्राप्त मौखिक सूचना अनुसार)

59	प.7(675)	04.12.13	1131 / 13	10289 / 12	मैसर्स अनिता डिस्ट्रीब्यूटर बनाम डॉ0 विरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव (अधीक्षक), एस0एम0एस0 अस्पताल, जयपुर					प्रकरण पूर्णतः एस0एम0एस0 अस्पताल, जयपुर से संबंधित है। अतः प्राप्त नोटिय मय याचिका की छाया प्रति अधीक्षक, एस0एम0एस0 अस्पताल, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई है।	
60	प.7(679)	17.12.13	883 / 13	15134 / 11	सुमन चौधरी बनाम श्री बी0एन0शमा	जी0एन0एम0 प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति मानने हुये पूर्ण वेतन भुगतान बाबत्	06.04.12	उप निदेशक नर्सिंग–तृतीय मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	"याचिका का निस्तारण याचिका संख्या 4415/2010 श्रीमती सुमन कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2011 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया है।	डी0बी0 रिव्यू दायर (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)
61	प.7(681)	20.12.13	1152 / 2013	5198 / 13	सत्यानारायण गुप्ता व अन्य 2 बनाम श्री दीपक उप्रेती	आयुर्वेदिक चिकित्सक	04.07.13	सहायक निदेशक (आयुष), एनआरएचएम मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	"याची की सेवा बर्खास्तगी संबंधी विवादग्रस्त ओदश को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वे याची के बी.ए.एम.एस. में प्राप्त वास्तविक अंको के आधार पर वरियता सूचि का पुनः निर्धारण करें एवं यदि वे वरियता में योग्य पाये जाते है तो उन्हें सेवा में निरन्तर मानते हुये काल्पनिक परिलाभ दिये जावें।	एनएचएम प्रकरण
62	प.7(684)	10.01.14	977 / 2013	9778 / 2013	अरविन्द बनाम श्री दीपक उप्रेती	नर्स–2/फार्मा सिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु बोनस अंक दिये जाने बाबत	14.09.12	उप निदेशक (नर्सिंग–द्वितीय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका स्वीकार करते हुये आदेश दिये है कि यदि प्रकरण मनोहर सिंह व अन्य के समान पाया जाता है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार द्वारा स्पेशल अपील दायर की जाती है तो उक्त निर्णय की स्पेशल अपील के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेंगी।	मु0 चि0 एवं स्वा0 अधि0 चुरू को बार–बार लिखे जाने पर भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण पालना नहीं की जा सकती है।

63	प.7(698)	21.01.14	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन अवमानना याचिका संख्या: 1283 / 13	अन्तर्गत अधिकरण अवमानना संख्या 57 / 2010 इन अपील संख्या 3143 / 2000	श्रीमती राजबाला व अन्य बनाम श्री दीपक उप्रेती	(पत्नि स्व0 डॉ0 उम्मेद सिंह राठौड, उप मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी (प0क0), चुरू	06.08.09	अति0 मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी (प0क0), चुरू	विभूति भूषण शर्मा	अपील स्वीकार करते हुये राज्य सरकार को निर्देश दिये है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.10.86 से चयनित वेतन श्रृंखला 21 जो उसके समकक्ष एवं कनिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिनांक 11.09.87 द्वारा स्वीकृत की गई थी अपीलार्थी को इसी दिनांक 01.10.86 से स्वीकृत की जाकर सभी पारिणामिक लाभ सहित भुगतान 3 माह में किया जावें इसके पश्चात् प्रार्थीगण बकाया राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाने के हकदार होगें।	जवाब दावा हेतु अधिवक्ता को प्रस्तुत, पालना आदेश अति0 निदेशक (राजपत्रित) से अपेक्षित है
64	प.7(711)	28.01.14	1240 / 2013	17155 / 2012	पंकज नागर बनाम श्री दीपक उप्रेती	फार्मा0 नियुक्ति अभ्यार्थी	11.02.13	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण करते हुये निर्देश दिये है कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह याचिकाकर्ता के भिन्न हस्ताक्षरों के बारे में प्रमाणीकरण कर उसके अनुभव को देखते हुये बोनस अंक देने एवं यदि वह मेरिट में आता हो तो उसे नियुक्ति प्रदान करें।"	माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय खण्डपीठ में अपील दायर करने का निर्णय लिया जा चुका है। अपील दायर करना शेष (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)
65	प.7(716)	30.01.14	44 / 14	2544 / 2013	पवन कुमार शर्मा बनाम श्री दीपक उप्रेती	आयुर्वेद चिकि0	04.07.13	सहायक निदेशक (आयुष), एनआरएचएम मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	याची की सेवा बर्खास्तगी संबंधी विवादग्रस्त ओदश को अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि वे याची के बी.ए.एम.एस. में प्राप्त वास्तविक अंको के आधार पर वरियता सूचि का पुनः निर्धारण करें एवं यदि वे वरियता में योग्य पाये जाते है तो उन्हें सेवा में निरन्तर मानते हुये काल्पनिक परिलाभ दिये जावें।	एनआरएचएम प्रकरण
66	प.7(717)	04.01.14	1348 / 13	418 / 2012	सरोज बनाम श्री दीपक उप्रेती	म0स्वा0कार्य0 बाबत् जीएनएम प्रशिक्षण अवधि को प्रतिनियुक्ति पर मानने बाबत	10.01.12	उप निदेशक (नर्सिंग–तृतीय), मुख्यालय	विभूति भूषण शर्मा	रिट याचिका का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया है कि यदि याचिकार्थीया का प्रकरण सुमन कुमारी के प्रकरण में पारित निर्णय के समान पाया जाता है तो उसे भी अध्ययन अवकाश हेतु सभी परिलाभ दिये जाने पर विचार करें।	रिव्यू रिट दायर (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)

67	प.7(719)	04.01.14	569 / 13	14438 / 2011	डॉ0 दर्शन कुमार निर्मल बनाम श्री दीपक उप्रेती	एम0ओ0	15.12.12	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली	राजकीय अभिभाषक	रिट याचिका का निस्तारण याची को उसके पद पर उपस्थित से पूर्व की मध्यवर्ती अवधि के वेतन भुगतान बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है एवं यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो प्रतिवादी गण को निर्देश दिये है कि वे उस पर विचार कर यदि कोई बकाया वेतन हो तो उसका भुगतान एक माह में करें।	राजकीय अधिवक्ता को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट दि0 20.03.2014 को प्रेषित है।
68	प.7(759)	04.03.14	1038 / 2012	9192 / 2010	कन्हैया लाल लखेरा व अन्य 6) पदमावती देवी तिवाडी बनाम श्री बी0एन0शर्मा,	(एएचडब्ल्यू / नर्स–2)	05.07.12	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	श्री संजय कुमार शर्मा,	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य याचिकाओं के साथ श्री दुर्गा सिंह चौहान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के अनुसार करते हुये उन याचिगणों को जिन्हें चयनित वेतनमान 7500–1200 मय सभी परिलाभों एवं एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिये है । ऐसे याचिगण जिन्हें पूर्व में उक्त परिलाभ दिया जा चुका है वह उसे प्राप्त करते रहेगें। इस संबंध में जारी विपरीत आदेशों को अपास्त किया जाता है ।"	पालना शेष प्रकरण प्रक्रियाधीन है। (सूचना नर्सिंग से मौखिक प्राप्त)
69	प. 7(789)	28.03.14	154 / 2014	2493 / 14	श्री हरिराम	(पा.टा.श्रमिक)	07.09.12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा,	"याचिका का निस्तारण करते हुये कार्यालय आदेश दिनांक 24.03.2011 के परिपेक्ष में याचिकाकर्ता के प्रार्थना प्रकरण को स्वीकार करते हुये निर्णय के दो माह में कियान्विति के आदेश है।"	पूर्ण अभ्यावेदन खारिज (सूचना डी0ए00 च0श्रे0क0 से प्राप्त अनुसार)
70	प. 7(790)	31.03.14	542 / 13	20417 / 12	फूल सिंह		18.12.12	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा,	"प्रार्थी को श्री रमेश चन्द्र (supra) में दिये गये निर्णय के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने तथा विभाग को वर्णित निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रार्थी के योग्य पाये जाने पर उन्हें लाभ देने अथवा कारणों से छः सप्ताह में अवगत कराने का निर्णय दिया गया है।"	

71	प.7(809)	21.04.14	281 / 14	15998 / 13	देव कुमार पिगोलिया	क0वि0	29.10.13			"प्रार्थी के अभ्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण किया जावें।"	
72	प.7(811)	22.04.13	619 / 13	5343 / 96	डॉ0 वन्दना गुप्ता	चिकि0 अधि0	13.10.08	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–द्वितीय	श्री संजय कुमार शर्मा,	D.B. Civil Special Appeal (Writ) under Section 18 of the Rajasthan High Court Ordinance read with Article 225 of the Constitution of India against the order dated 22-05-2007 passed by Hon'ble Mr. Justice Prem Shankar Asopa in S.B. Civil Writ Petition No. 5343/1996, whereby writ petition has been allowed	
73	प.7(812)	23.04.13	292 / 14	18191 / 12	लक्ष्मीनारायण	चिकि0 अधि0		प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, खेडली (अलवर) एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा,	It would, however, be expected that the doctors, who are prescribing the medicines, would also deep in mind the purpose of the Scheme and the benefit contemplated to be extended to he pensioners thereunder. The petition is closed in these terms.	
74	प.7(830)	14.05.14	465 / 2014	2493 / 2013	डॉ0 हेमन्द्र कुमार यादव	चिकि0 अधि0	03.01.14	सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड एवं समन्वयक	श्री संजय कुमार शर्मा,	"Accordimgly, writ petition is allowed. Petitioner is treated as voluntart retired w.e.f.03.10.2013. He would obviously be entitled all retiral benefits."	
75	प.7(831)	19.05.14	1559 / 12	1288 / 10	श्रीमती गेदी बाई	(पार्ट टाईम / दैनिक वेतन भोगी श्रमिक)	11.04.12	–	–	–	मेडिकल कॉलेज से संबंधित होने के कारण केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है

76	प.7(832)	22.05.14	523 / 2014	2247 / 2014	अधोक्षज जोशी	(चिकित्सक)		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर एवं समन्वयक।	श्री एस0के0 गुप्ता, अति0 महाधिवक्ता,	बकाया वेतन भुगतान किया जावें	
77	प.7(833)	22.05.14	41 / 2013	1184 / 2003	डॉ0 सोम प्रकाश गुप्ता	चि0 अधि0					
78	प.7(844)	09.06.14	617 / 2014	615 / 2014	संतोष	महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण आवेदनकर्ता	30.08.11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ (चुरू) एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा,	"याचिका का निस्तारण याचिका संख्या 16046 / 09 योगेश कुमार शर्मा व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य एवं समान प्रकृति की सात अन्य याचिकाओं के साथ करते हुये प्रत्यर्थीगणों को यह स्वतत्रंता प्रदान की है कि उन्हें याचिगणों के प्रतिनियुक्ति भत्ते के संबंध में उचित निर्णय लेवें की उन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता निरन्तर देना है अथवा उसे भविष्य के लिये अनिरन्तर किया जाना है किन्तु इस संबंध में नर्सेज एवं डॉक्टर्स के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।"	
79	प.7(864)	08.07.14	168 / 2014	15257 / 2013	मेवा राम सैनी	(से0नि0 मेलनर्स–2)	27.08.13	उप निदेशक (नर्सिंग–प्रथम), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य रिट याचिकाओं के साथ देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें । यदि याची उक्त निर्णय में कंवर नहीं होता है तो याची को निर्णय से सूचित करें।"	
80	प.7(867)	08.07.14	178 / 2014	8043 / 2013	चैन सिंह राठौड	(मेलनर्स–2)	25.07.13	उप निदेशक (नर्सिंग–प्रथम), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य रिट याचिकाओं के साथ देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें । यदि याची उक्त निर्णय में कंवर नहीं होता है तो याची को निर्णय से सूचित करें।"	

81	प.7(868)	08.07.14	179 / 2014	3776 / 2013	अरूण कुमार पारिक व अन्य	(मेलनर्स–2)	25.07.13	उप निदेशक (नर्सिग–प्रथम), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य रिट याचिकाओं के साथ देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें । यदि याची उक्त निर्णय में कंवर नहीं होता है तो याची को निर्णय से सूचित करें।"	
82	प.7(869)	08.07.14	180 / 2014	8044 / 2013	मोहम्मद उसमान अंसारी	(मेलनर्स–2)	25.07.13	उप निदेशक (नर्सिग–प्रथम), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य रिट याचिकाओं के साथ देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें । यदि याची उक्त निर्णय में कंवर नहीं होता है तो याची को निर्णय से सूचित करें।"	
83	प.7(870)	08.07.14	181 / 2014	15260 / 2013	कैलाश चन्द्र शर्मा	(मेलनर्स–2)	27.08.13	उप निदेशक (नर्सिग–प्रथम), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"रिट याचिका का निस्तारण अन्य रिट याचिकाओं के साथ देवी सिंह स्वर्णकार बनाम राज. राज्य व अन्य की रिट याचिका संख्या 10028 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.11 में दिये गये निर्णय के अनुसार करते हुये प्रत्यर्थीगणों को निर्देश दिये है कि उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में याची के प्रकरण में भी विचार करें । यदि याची उक्त निर्णय में कंवर नहीं होता है तो याची को निर्णय से सूचित करें।"	
84	प.7(872)	28.07.14	767 / 2014	15480 / 2012	राधा मोहन शर्मा व अन्य बनाम श्री दीपक उप्रेती,	(एएसडब्ल्यू)	12.12.13	उप निदेशक (नर्सिग–द्वितीय), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री संजय कुमार शर्मा	"In view of aforesaid, writ petition is disposed of with liberty to the petitioners(s) to make representation to the respondents in the light of the judgment supra. In case of representation, respondents are directed to consider and decide the same"	

85	प.7(879)	27.08.14	739 / 2012	10826 / 2008	कुलदीप शुक्ला बनाम श्री बी.एन. शर्मा	असिस्टेंट रेडियोग्राफर रूरल	30.05.11	उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री एस0के0गुप्ता,	"Conclusion that emanates from the discussion made above is that qualification possessed by the petitioners cannot be held to be recognized by the State Government or the Paramedical council for employment under the Government of Rajasthan. Although, for that reason they may not be always ineligible for such appointment. However that confusing should not persist forever and this state of uncertainty must come to end. In order therefore to resolve the controversy for once and all, the State Government is directed to constitute the Paramedical Council as per Section 4 supra within a period of three months from the date copy of this order is produced before it. Matter with regard to recognition or otherwise of the qualification held by the petitioners in the State of Rajasthan, Shall be laid before the Paramedical Council, which in terms of section 32 of the Rajasthan Para medical council Act, 2008 shall take a decision thereabout within three months next after its constitution. If eventually, qualification possessed by the petitioners is recognized by the Paramedical Council that recognition shall hold the field prospectively"	
86	प.7(882)	28.08.14	264 / 2013	16961 / 2012	मुन्ना लाल बनाम श्री दीपक उप्रेती,	(एमपीडब्ल्यू)	29.03.13	संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं समन्वयक।	संजय कुमार शर्मा,	"It is therefore, this representation is filed as per direction given by the Hon'ble RHC and petitioner may be given to the benefit of pay scale of Rs. 975-1720, 1200-2050 and 1640-2900 after completin of 9, 18 and 27 years of the services respectively and grant all the consequential benefits in arising out of aforesaid pay scale."	

87	प.7(883	08.09.14	743/2014	17209/2013	डॉ0 रामवीर पटेल बनाम डॉ0 सुबोध कुमार व अन्य	(चि0अ0)	03.01.14	डॉ0 आर. सी. गुप्ता, उप निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय एवं समन्वयक	श्री एस0के0गुप्ता	"In view of the limited praver made above, this writ petition is disposed of with liberty as prayed for. If any representaion is made bye the petitioner/s, the respondents are directed to consider the same as per the provision of law. This sisposes of the stay application as well."	
88	प.7(887)	17.09.14	792/2014	9052/2010	श्री सीता राम जाट बनाम श्री दीपक उप्रेती,	(दै0वे0भोगी)	03.01.14	उप निदेशक (आर.सी. एच.), मुख्यालय एवं समन्वयक।	श्री एस0के0 गुप्ता	"I find that petitioner was engaged by the respondents somewhere in March 1996. He has already completed 10 year of service on or before 10.4.2006. The continuance of the petitioner is not with intervention of the court and otherwise petitioner was continued by the respondetns finding need of the hands to discharge the duties on the post, petitioner is working. In view of the above and keepling in mind Notification dated 27.2.2009 this writ petition is allowed. The respondents are directed to consider case of the petitioner in the light of the Notification dated 27-02-2009. Required exercise, as directed above, may be completed within three months form the date of receipt of copy of this order. If the screening committee make a favourable recommendation for regularisation of the petitioner, necessary order may be issued immediately thereupon."	